विचार बिन्दु

अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु श्रेष्ठ होती है।
–चंद्रशेखर वेंकट रमण

मेवाड़ : शौर्य की विरासत, विकास का अधिकार

15 अगस्त केवल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का पर्व नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत बलिदानों, त्याग और राष्ट्रभक्ति का स्मरण दिवस है, जिनके कारण भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। यह दिन हमें केवल तिरंगा फहराने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह आत्ममंथन करने की भी प्रेरणा देता है कि क्या स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य-समान अवसर, न्यायपूर्ण विकास और प्रत्येक क्षेत्र की सम्मानजनक भागीदारी-देश के हर कोने तक समान रूप से पहुँच पाया है। जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब उन क्षेत्रों की भूमिका और अपेक्षाओं पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया। राजस्थान का मेवाड़ ऐसा ही एक गौरवशाली क्षेत्र है।

मेवाड़ भारतीय इतिहास में केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह संदेश देता है कि स्वतंत्रता केवल शासन परिवर्तन का नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प है। हल्दीघाटी का युद्ध भले ही सैन्य दृष्टि से निर्णायक न रहा हो, किन्तु उसने भारतीय मानस में स्वतंत्रता की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो कभी बुझी नहीं। यही कारण है कि महाराणा प्रताप आज भी राष्ट्रीय अस्मिता के अमर प्रतीक हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मेवाड़ का स्मरण केवल इतिहास का सम्मान नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का सम्मान है।

राजस्थान के निर्माण में मेवाड़ की निर्णायक भूमिका

स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी मेवाड़ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में महाराणा भूपाल सिंह ने व्यापक राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए एकीकृत राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें प्रथम राजप्रमुख बनाया गया और उदयपुर को प्रारम्भिक राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ। मेवाड़ ने अपने ऐतिहासिक गौरव से ऊपर उठकर एक सशक्त राजस्थान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। यह योगदान राजस्थान के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। किन्तु स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मेवाड़-वागड़ क्षेत्र को उसके योगदान और सामर्थ्य के अनुरूप विकास प्राप्त हुआ? यह प्रश्न किसी एक सरकार अथवा किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में भी इस क्षेत्र की अनेक न्यायोचित माँगें वर्षों तक लंबित रही हैं। इसलिए यह राजनीतिक विवाद का नहीं, बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास और सुशासन का विषय है।

संसाधनों से समृद्ध, फिर भी विकास की चुनौतियाँ

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र प्राकृतिक और आर्थिक दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। अरावली की पर्वतमालाएँ, उदयपुर की विश्वविख्यात झीलें, जावर की सीसा-जस्ता खदानें, राजसमंद का संगमरमर, समृद्ध वन सम्पदा, जल संसाधन और आदिवासी सांस्कृतिक विरासत इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान हैं। पर्यटन, खनिज उत्पादन, वन सम्पदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में मेवाड़ का योगदान उल्लेखनीय है। यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त विकास इंजन बन सकता है।

इसके बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन की भावना आज भी बनी हुई है। पिछले तीन दशकों में राजस्थान में अनेक राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक, चिकित्सा और तकनीकी संस्थान स्थापित हुए। जयपुर प्रशासनिक और उच्च शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। जोधपुर में एम्स, आईआईटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय तथा अनेक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुए। कोटा शिक्षा का राष्ट्रीय केन्द्र बनकर उभरा। इसके विपरीत उदयपुर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक नगर को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के अतिरिक्त कोई बड़ा राष्ट्रीय संस्थान प्राप्त नहीं हो सका। यदि विकास का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन है, तो दक्षिण राजस्थान को भी समान अवसर मिलना चाहिए।

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र प्राकृतिक और आर्थिक दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। अरावली की पर्वतमालाएँ, उदयपुर की विश्वविख्यात झीलें, जावर की सीसा-जस्ता खदानें, राजसमंद का संगमरमर, समृद्ध वन सम्पदा, जल संसाधन और आदिवासी सांस्कृतिक विरासत इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान हैं। पर्यटन, खनिज उत्पादन, वन सम्पदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में मेवाड़ का योगदान उल्लेखनीय है। यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त विकास इंजन बन सकता है।

न्याय की दूरी भी विकास का प्रश्न है

न्यायपालिका के क्षेत्र में भी दक्षिण राजस्थान की समस्या दशकों से बनी हुई है। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ की माँग लगभग चार दशक पुरानी है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों के लाखों नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। आदिवासी, ग्रामीण, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए यह व्यवस्था न्याय को कठिन और महँगा बना देती है। लोकतंत्र में न्याय तभी प्रभावी माना जाता है जब वह सुलभ, समयबद्ध और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो।

परिवहन और आधारभूत ढाँचे की चुनौती

परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाएँ वर्षों से अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना, दक्षिण राजस्थान की रेल संपर्क व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत परियोजनाएँ अभी भी पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जबकि मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क किसी भी क्षेत्र में निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार का आधार होता है। यदि दक्षिण राजस्थान को विकास की मुख्यधारा में लाना है तो इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

कृषि और जनजातीय विकास को मिले नई दिशा

कृषि और जनजातीय विकास मेवाड़-वागड़ की पहचान हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है, परन्तु वर्षों से शिक्षकों और वैज्ञानिकों के अनेक पद रिक्त रहने से इसकी क्षमता प्रभावित हुई है। दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य वैधानिक देयों के भुगतान में होने वाली देरी चिंताजनक है। कृषि प्रधान राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों को मजबूत करना केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा का भी प्रश्न है। दक्षिण राजस्थान का आदिवासी समाज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कौशल विकास, स्थानीय उद्योग, वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन और पर्यटन आधारित रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भर विकास का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। जैविक कृषि, फलोत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, खनिज आधारित उद्योग और इको-टूरिज्म जैसी संभावनाएँ लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकती हैं। यही विकसित राजस्थान और विकसित भारत की दिशा में वास्तविक योगदान होगा।

मेवाड़-वागड़ के लिए समन्वित विकास नीति

आज आवश्यकता किसी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा या टकराव की नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और संतुलित विकास की है। राज्य सरकार को मेवाड़-वागड़ के लिए एक समर्पित क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन करना चाहिए, जो आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और आदिवासी विकास की योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। मानगढ़ धाम (बांसवाड़ा, राजस्थान) जहाँ 17 नवंबर 1913 को संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्र हुए लगभग 1,500 भील आदिवासी अंग्रेजों की गोलीबारी में शहीद हुए थे, को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाये। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। दक्षिण राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जाए। लंबित रेल परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराया जाए। यह किसी क्षेत्र विशेष पर कृपा नहीं, बल्कि संतुलित विकास की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी।

शौर्य की विरासत से विकास के अधिकार तक

प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत "विकसित भारत-2047" का संकल्प तभी साकार होगा जब विकास का लाभ देश के प्रत्येक क्षेत्र तक समान रूप से पहुँचे। मेवाड़-वागड़ जैसे संसाधन सम्पन्न, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत क्षेत्र को यदि उसकी क्षमता के अनुरूप अवसर मिलें, तो वह केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत की प्रगति तभी पूर्ण होगी जब उसकी विकास यात्रा में कोई क्षेत्र स्वयं को उपेक्षित महसूस न करे।

–अतिथि सम्पादक,
प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

उभरते भारत की आवश्यकता : समान नागरिक संहिता

पंकज मीणा

भारत की विकास यात्रा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। एक मजबूत, आधुनिक और विकसित भारत के लिए सामाजिक समानता, समान अधिकार और प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर भी उतने ही आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि देश की 150 करोड़ से अधिक आबादी एक समान अधिकारों और अवसरों के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सहभागी बने। इसी दृष्टि से समान नागरिक संहिता आज भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, जो देश की प्रगति के साथ सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विषयों को भी लगातार राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाता रहा है। भाजपा की स्थापना के समय से ही तीन प्रमुख विषय उसके वैचारिक एजेंडे में रहे-जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रावधान समाप्त करना, अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता लागू करना। इन तीनों विषयों को लेकर भाजपा ने लंबे समय तक जनजागरण, आंदोलन और संघर्ष किया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया।

लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज अनुच्छेद 370 का प्रावधान समाप्त हो चुका है। करोड़ों भारतीयों की आस्था के केंद्र अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर भी बन चुका है। अब तीसरे प्रमुख संकल्प समान नागरिक संहिता को साकार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड और गुजरात इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समान नागरिक संहिता पर विधेयक तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। समिति ने अपना प्रारूप मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। इस प्रकार राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता की दिशा में महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है।

समान नागरिक संहिता का विचार आज का नहीं है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी। संविधान सभा के अनेक सदस्य चाहते थे कि देश में नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था हो। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत था कि विभाजन के बाद भारत में रह गए मुसलमानों के लिए तत्काल समान नागरिक संहिता लागू करना उनके साथ अन्याय होगा। नेहरू की इस राजनीतिक सोच के कारण उस समय समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकी। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस विषय को पूरी तरह छोड़ा भी नहीं। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 को शामिल किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अर्थात संविधान ने समान नागरिक संहिता को देश के भविष्य के लिए एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। आज जब भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब सात दशक पुराने इस संवैधानिक संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है।

भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सहित अनेक धर्मों और मत-संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक आस्था और परंपराओं के आधार पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और परिवार से जुड़े विषयों में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून और व्यवस्थाएं हैं। प्रश्न यह है कि जब संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है, तो नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों में कानून अलग-अलग क्यों हों?

हिंदू समाज में भी सामाजिक सुधार की प्रक्रिया आसान नहीं रही। राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हुए आंदोलनों ने समाज में सुधार का रास्ता खोला। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के नाम पर चली आ रही व्यवस्थाओं में समय रहते सुधार होना चाहिए। अंग्रेजी शासन ने भारत में अपनी 'बांटो और राज करो' की नीति के तहत समुदाय आधारित अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। वर्ष 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट लाया गया। जिसे स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 372 और अनुच्छेद 25 के माध्यम से संरक्षित किया गया।

आजादी के बाद व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए। कांठोस ने हिंदू समाज के व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन के लिए 1941 में हिंदू लॉ कमेटी 1944 में हिंदू कोड बिल समिति बनाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू केवल हिंदू समाज के व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक सुधार के पक्षधर थे। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल सहित कई प्रमुख नेताओं ने हिंदू कोड बिल के स्वरूप और प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई थीं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि इतनी महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव व्यापक सहमति से होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर भी हिंदू कोड बिल को लेकर संसद और समाज में व्यापक चर्चा के पक्षधर थे। अंततः हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक बदलाव 1955-56 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ठाहण एवं भरण-पोषण अधिनियम जैसे कानून के रूप में आए। यहां मूल प्रश्न यह है कि जब हिंदू समाज के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार कर आधुनिक व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में सभी समुदायों के लिए समान कानून की दिशा में आगे बढ़ने में संकोच क्यों होना चाहिए?

सबसे बड़ा सवाल महिलाओं के समान अधिकार का है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण आधार महिलाओं के अधिकार हैं। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे विषय सीधे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हैं। यदि किसी महिला के अधिकार केवल उसके धर्म के आधार पर अलग निर्धारित होते हैं तो संविधान की समानता की भावना के सामने यह गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में महिला को समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता किसी धर्म की पूजा-पद्धित, धार्मिक आस्था या उपासना के तरीके में हस्तक्षेप का माध्यम नहीं है। इसका संबंध नागरिक जीवन से जुड़े उन विषयों से है, जिनका नियमन राज्य के कानूनों द्वारा होता है। धार्मिक स्वतंत्रता अपनी जगह सुरक्षित रह सकती है, लेकिन नागरिक अधिकारों में समानता भी सुनिश्चित की जा सकती है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रथम तीन शब्द हैं-हम भारत के लोग। यह केवल संविधान की शुरुआत में लिखे तीन शब्द नहीं हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र की मूल भावना हैं। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि समस्त भारतीय नागरिकों के लिए है।

भारत की विविधता हमारी शक्ति है। अलग-अलग धर्म, भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां भारत की पहचान हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन विविधता के नाम पर नागरिक अधिकारों में स्थायी असमानता स्वीकार नहीं की जा सकती।

विकसित भारत के लिए समान नागरिक संहिता

आज भारत विश्व के सामने एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा है। अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, आधारभूत ढांचे और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को भी आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तभी सफल होगा, जब समाज का प्रत्येक वर्ग समान अवसर और समान अधिकार के साथ विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़े। नागरिकों की पहचान उनके धर्म से पहले भारतीय नागरिक के रूप में हो और कानून की नजर में सभी समान हों।

समान नागरिक संहिता इसी सोच को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य किसी धर्म को कमजोर करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी अधिकार देना है। इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि नागरिक कानूनों में समानता स्थापित करना है। भारत को अपनी विविधता को बनाए रखते हुए समानता की ओर आगे बढ़ना होगा। अलग-अलग आस्थाएं और परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहें, लेकिन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ठाहण जैसे नागरिक विषयों में कानून सबके लिए समान हो-यही आधुनिक भारत की आवश्यकता है।

पंकज मीणा
प्रवक्ता, भाजपा राजस्थान

प्रकृति से जुड़ी चिकित्सा पद्धति

डॉ. अरुणा व्यास

आयुर्वेद के साथ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी आदि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाने में अद्भुत परिणाम दिखाएं हैं। इस संबंध में पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति इलैक्ट्रोपैथी का भी विशेष महत्व है। इलेक्ट्रोपैथी में दवाओं का निर्माण नॉन पॉइजन वनस्पति से किया जाता है। करीब 114 पौधों से इसकी दवा बनती है। पेड़-पौधों से प्राप्त रस में उपस्थित धनात्मक व ऋणात्मक शक्तियों के द्वारा इस पद्धति में इलाज किया जाता है।

परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के साथ ही इलेक्ट्रोपैथी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के सकारात्मक परिणामों पर गहन शोध और अनुसंधान किया जाए। इसी आधार पर फिर उन्हें बढ़ावा दिए जाने पर भी कार्य हो।

यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक आगे बढ़ रही है, यह जरूरी है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धितयों से जुड़े बेहतरीन परिणामों को विश्व स्तर पर साझा किये जाएं ताकि ऐसे ज्ञान की ऐसी संस्कृति विकसित हो जिसमें परस्पर आदान-प्रदान से रोगमुक्त विश्व की ओर हम आगे बढ़ सकें। हमारे यहां तो कहा भी गया है-"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत। अर्थात् सभी सुखी होवें। सभी रोगमुक्त रहें। और सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े। विश्वकल्याण की इसी भावना के तहत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का मानव कल्याण में उपयोग किए जाने की वैश्विक सोच पर कार्य करने की आज अधिक जरूरत है।

कोरोना के दौर में हमने यह भी देखा है कि आर्युवेद ने बेहद कारगर भूमिका निभायी। विश्व स्तर पर आर्युवेद की भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व को स्वीकार किया गया। इसी तरह होम्यौपैथी और इलेक्ट्रोपैथी जैसी पद्धतियों में भारत विश्व का बड़ा केन्द्र बने। इलेक्ट्रौपैथी ने बहुत से स्तरों पर रोग निदान में कारगर भूमिका निभायी है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से ईलाज बढ़ावा देने के साथ ही इससे जुड़े ज्ञान और नुस्खों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए भी वृहद स्तर पर कार्य किया जाए। शोध और अनुसंधान के ऐसे कार्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में किए जाएं जिनसे पूरी मानवता का भला हो सके। कम से कम साइड इफेक्ट्स वाली विधाओं को अगर इलाज में सम्मिलित कर सकें तो यह जनसामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा।

इससे सरल, सस्ती पद्धति की महत्ता एवं उपयोगिता को हम बड़े स्तर पर सामने ला सकेंगें। केन्द्र सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए पहली बार सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अनुमति प्रदान कर इन्हे प्रोत्साहित करने का कार्य किया। केन्द्र सरकार का यह कदम लोक उसके कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रकट करता है।

–डॉ. अरुणा व्यास,
पर्यावरण एवं संस्कृति
अध्येता
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

विराटनगर के सूरजपुरा में शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश

पावटा, (निसं)। विराटनगर तहसील क्षेत्र की जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के सूरजपुरा गांव में आबादी क्षेत्र में संचालित शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ठेके के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की आबादी के बीच शराब की दुकान संचालित होने से यहां दिनभर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। इसके चलते आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने विशेष रूप से महिलाओं और स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और ग्रामीणों का कहना था कि शैक्षणिक माहौल वाले क्षेत्र में शराब का ठेका किसी भी सूरत में उचित नहीं है। स्कूल जाने वाली छात्राओं को रास्ते में असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से शराब के ठेके को आबादी क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शराब के ठेके को जल्द बंद या आबादी क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं किया गया, तो ग्रामीण आंदोलन को और व्यापक करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में बोदूराम खटीक, मालीराम, गणपत रैगर, कैलाश बलाई, शंकर सिंह, यशपाल सिंह, लाल सिंह, सीताराम धोबी, कौशिक, रामसिंह, लक्ष्मण सिंह, शिंभू सिंह, सुरेंद्र सिंह, सजन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और विद्यालय के छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए।

■ ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं और छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया

खाद्य सुरक्षा टीम ने खराब तेल व दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई

खाद्य नमूनों को राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, अजमेर भेजा गया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटखोरी एवं अस्वच्छ खाद्य सामग्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को भीलवाड़ा शहर में सघन कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि विभागीय टीम ने मैसर्स निकिता फूड प्रोडक्ट्स, रीको एरिया, भीलवाड़ा से नमकीन का नमूना लिया तथा मौके पर लगभग 50 लीटर खराब तेल जनहित में नष्ट करवाया। इसी प्रकार मैसर्स सुखवाल बेकरी, रीको एरिया से बिस्किट का नमूना लिया गया तथा लगभग 20 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई। इसके अतिरिक्त मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मीरा सर्किल, भीलवाड़ा से पेड़े का नमूना लिया गया। सभी लिए गए खाद्य नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, अजमेर भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव, साक्षी जैन व एफएसओ नीरज मीणा मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा जनस्वास्थ्य के हित में जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 21 अगस्त, 2026

सावन मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, अनुराधा नक्षत्र दिन 11:53 तक, वैधृति योग शनिवार प्रातः 5:18 तक, बालव करण दिन 10:28 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 11:53 तक है। रवियोग दिन 11:53 से आरम्भ होगा। आज श्री हरि जयन्ती, जीवंतिका पूजन, वैधृति पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:41 तक, लाभ-अमृत 4:41 से 10:54 तक, शुभ 12:30 से 2:06 तक, चर 5:19 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:54

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन का भय दूर होगा।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में बाहर जाना पड़ सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी अनबन हो सकती है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

तुला
नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा